भारतीय रेल

पर मान्यता-प्राप्त यूनियनों/फेडरेशनों

के लिए

गुप्त मतदान चुनाव

हेतु

अंतिम रीति

प्राधिकार: रेलवे बोर्ड के आदेश सं.

(1) ईआरबी-I/2012/23/49 दिनांक 09.11.12&

(2) 2012/ई(एलआर)III/एलआर/मिस. /5(एसबी)-पार्ट दिनांक 08.03.13

रेलवे बोर्ड के दिनांक 09.11.12 के आदेश सं. ईआरबी-I/2012/23/49 के विचारार्थ विषय सं. 2. (i) (ii) एवं (iii) के अनुसरण में, निम्नलिखित अंतिम रीतियों का प्रस्ताव किया जा रहा है जिनके अनुसार गुप्त मतदान चुनाव करवाए जाएंगे।

अनुक्रमणिका

1	चुनाव लड़ने हेतु पात्र यूनियनें
2	मतदान करने हेतु पात्र कर्मचारी और मतदाता की पहचान
3	मतदान करने हेतु पात्र नहीं कर्मचारी और स्थानांतरित कर्मचारी
4	अभिज्ञान हेतु मानदंड
5	अनुशासन संहिता
6	निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता
7	मतदाता सूची
8	गुप्त मतदान चुनाव का आयोजन एवं पर्यवेक्षण करने वाला प्राधिकारी
9	चुनाव आयोजित करने हेतु प्राधिकारियों की नियुक्ति
10	चुनाव चिह्न का आवंटन
11	गुप्त मतदान चुनाव की अधिसूचना
12	नामांकन प्रस्तुत करना
13	नामांकनों की संवीक्षा
14	नामांकनों को वापिस लेना
15	मतदान करने की तारीखें और समय
16	मतपत्रों का मुद्रण
17	मतदान केन्द्र
18	मतपेटी
19	मतदान अभिकर्ता

20	मतदान दल और उनके उत्तरदायित्व
21	डाक मतपत्र व्यवस्था
22	मतदान करने हेतु अल्प छुट्टी
23	मतदान करने की प्रक्रिया
24	चुनाव कार्यवाही का अभिलेख
25	पुनर्मतदान
26	मतदान का समापन
27	मतों की गिनती
28	अविधिमान्य मत
29	चुनाव रिपोर्ट
30	अप्रयुक्त मतपत्र
31	गिनती और अंतिम परिणाम की घोषणा
32	यूनियनों हेतु वर्तमान सुविधाएं
अनुबंध	
I	अनुशासन संहिता
II	देय राशियों के संदाय के बारे में घोषणा
III	आचार संहिता लागू करने का तंत्र
IV	पीठासीन अधिकारी का नियुक्ति पत्र
V	मतदान दलों का नियुक्ति पत्र
VI	स्वतंत्र चुनाव चिह्न
VII	घोषणा सहित नामांकन प्रपत्र
VIII	डाक मतपत्र हेतु अनुरोध

IX	चुनाव प्रक्रिया का अभिलेख
X	मतपत्र खाता
XI	चुनाव रिपोर्ट हेतु प्रपत्र
XII	अंतिम परिणाम का संकलन

रजीस्टर्ड रेलवे ट्रेड यूनियनों/फेडरेशनों* को मान्यता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ गुप्त मतदान चुनाव 2013 आयोजित करने हेतु अंतिम रीतियां

(फेडरेशनों की मान्यता के मानदंड बाद में जारी किए जाएंगे)

रेलवे बोर्ड ने दिनांक 09.11.12 के अपने आदेश सं. ईआरबी-1/2012/23/49 के अंतर्गत ट्रेड यूनियनों/फेडरेशनों को मान्यता प्रदान करने के लिए, भारतीय रेल पर गुप्त मतदान चुनाव का आयोजन एवं पर्यवेक्षण करने और उसकी रीतियां तैयार करने के लिए एक गुप्त मतदान चुनाव समिति का गठन किया था। रेलवे बोर्ड के आदेश और दिनांक 08.03.13 के नोट सं. 2012/ई(एलआर)III/एलआर/मिस./5(एसबी)-पार्ट. के अंतर्गत अनुवर्ती सूचना के अनुसार, समिति ने 11.03.2013 को रीतियों का प्रारूप अपलोड किया था और उनके बारे में सुझाव आमंत्रित किए थे।

यूनियनों और प्रशासन से प्राप्त सुझावों के आधार पर, 25, 26 और 27 अप्रैल 2013 को निर्धारित चुनावों का आयोजन करने के लिए निम्नलिखित **अंतिम रीतियां** जारी की जा रही हैं।

1. **चुनाव लड़ने हेतु पात्र यूनियन:-**

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली ट्रेड यूनियनें चुनाव लड़ने की पात्र होंगी।

(क) रेलवे की वे सभी ट्रेड यूनियनें जो 31.12.2011 की स्थिति के अुनसार न्यूनतम पिछले एक साल से ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अंतर्गत पंजीकृत हैं और जो अनन्य रूप से संबंधित क्षेत्रीय रेल के सभी अराजपत्रित (पूर्ववर्ती समूह 'ग' और 'घ') कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

(ख) ये पंजीकृत ट्रेड यूनियनें अनिवार्य रूप से किसी जाति, जनजाति, क्षेत्र, भाषावादी या धार्मिक पंथ या ऐसी जाति, जनजाति, भाषावादी या धार्मिक पंथ के अंदर किसी समूह अथवा किसी वर्ग के आधार पर नहीं बनाई गई हों।

(ग) यूनियन की पंजीकृत अधिकारिता भौगोलिक दृष्टि से उस संबंधित महाप्रबंधक की अधिकारिता के अनुरूप है जिसको आवेदन किया जाता है और जो यूनियन को मान्यता प्रदान करने के लिए सक्षम है और यूनियन के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के लिए भी, जब कभी आवश्यक हो, सक्षम है।*

{*पैरा 2(ग) 2007 की लिखित याचिका (सी) 7956 (एम/बी) में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) के समक्ष न्यायाधीन है और परिणाम दिनांक 24.10.2007 के आदेश के अनुसार मुकदमे के अंतिम परिणाम के अध्यधीन है। उस समय तक, सभी मुख्य कार्मिक अधिकारियों को संबोधित तत्कालीन सदस्य सचिव गुप्त मतदान समिति के दिनांक 30.10.2007 के पत्र सं. 2007/एसबीसी/आरईसी/22 के उपबंध लागू रहेंगे, जिसके अंतर्गत "रीतियों का खंड 2(ग) इस मामले में न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय दिए जाने तक निष्प्रभावी रहेगा।"}

एन.बी.: उल्लिखित खंड 2(ग) इन रीतियों में खंड सं. 1(ग) जैसा प्रतीत होता है।

(घ) चुनाव लड़ने वाली यूनियनों ने ट्रेड यूनियनों के संबंधित पंजीयक के पास पिछले वर्ष (2011) के लेखा विवरण और वार्षिक विवरणी अवश्य जमा करवाई हो।

संबंधित पजीयक के पास जमा करवाई गई पिछली वार्षिक विवरणी (वर्ष 2011 के लिए) की एक प्रति नामांकन दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को जमा करवाई जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी उसके दस्तावेजों को पंजीयक कार्यालय से सत्यापित करवाएगा।

(ङ) यूनियन चुनाव की तारीख की अधिसूचना से तुरंत पहले एक वर्ष की अवधि के दौरान ऐसे किसी कार्य में संलिप्त न रही हो जिससे अनुशासन संहिता **(अनुबंध I)** का उल्लंघन होता है।

(च) चुनाव में भाग लेने वाली यूनियनों का ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अनुपालन में अपना एक संविधान होगा। उसकी एक स्वप्रमाणित प्रति रिटर्निंग अधिकारी को जमा करवाई जाएगी।

(छ) यूनियन द्वारा कार्यालय किराये, बिजली, और पानी के लेखे में 31.12.12 तक सभी प्रभारों का भुगतान किए जाने एक अनादेय प्रमाणपत्र संलग्न किया जाएगा।

अगर यूनियन द्वारा संदेय प्रभारों/बिलों के बारे में कोई विवाद है, या अगर प्रशासन समय पर बिल प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो यूनियन द्वारा रेल प्रशासन को स्पष्ट वचनबद्धता प्रस्तुत की जाएगी कि विवादों के निपटान/बिलों को प्रस्तुत किए जाने के बाद अधिकतम 31.12.2013 तक बिलों का संदाय कर दिया जाएगा। वचनबद्धता के आधार पर महाप्रबंधक यूनियन को चुनाव लड़ने की अनुमति दे सकता है। ऐसे मामले में महासचिव एक घोषणा (अनुबंध II) जमा करवाएगा कि यूनियन ऐसे सभी बिलों का संदाय कर दिया है जहां कोई विवाद नहीं है और/या यथाविनिर्दिष्ट एक वचनबद्धता दे दी है।

जो यूनियन रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी सुविधा पर काबिज नहीं है, वह इस आशय की एक घोषणा प्रस्तुत करेगी जिसे उस यूनियन के लिए अनादेय प्रमाणपत्र माना जाएगा।

(i) नामांकन दस्तावेजों के साथ, संबंधित रेलवे का विसमुलेधि के नाम से देय आहरित बैंक ड्राफ्ट द्वारा 25,000/- रुपये की प्रतिदेय धरोहर राशि या संबंधित रेलवे के रोकड़ कार्यालय में 25,000/- रुपये के विप्रेषण की धन रसीद जमा करवाई जाएगी। {अगर आचार संहिता के उल्लंघन के लिए यूनियन से कोई दंड वसूला जाता है तो धरोहर राशि के नामे डाला जाएगा। उसके अतिरिक्त, अगर यूनियन कुल मतदान का न्यूनतम 5% [भिन्न को अगली उच्चतर संख्या तक पूर्णांकित किया जाएगा] हासिल करने में विफल रहती है तो धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा।} चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पूर्ण धरोहर राशि या उसके शेष अंश का, जैसा भी मामला हो, यूनियन को प्रतिदाय किया जाएगा।

2. **मतदान करने हेतु पात्र कर्मचारी:-**

निम्नलिखित कोटियों के कर्मचारी मतदान करने के पात्र होंगे।

क) सभी नियमित अराजपत्रित (पूर्ववर्ती समूह 'ग' और 'घ') कर्मचारी और अस्थायी रुतबे वाले एवजी जो 01.02.13 की स्थिति के अनुसार रेल स्थापना की उपस्थिति नामावली पर मौजूद हैं।

ख) वे कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, उस कार्यालय में जहां उनका धारणाधिकार रखा जा रहा है, मतदान कर सकते हैं। बहरहाल, रेल विद्युतीकरण/निर्माण परियोजनाओं, या किसी अन्य परियोजना में जहां संवर्ग बंद नहीं किया गया है और कर्मचारी अभी भी प्रतिनियुक्ति पर हैं, प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों के लिए, रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी निकटवर्ती मतदान केन्द्र में जहां अन्य चालित लाइन कर्मचारियेां के लिए मतदान की व्यवस्था की गई है, मतदान की व्यवस्था करेगा। रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी परियोजना कार्यालय/धारणाधिकार रखने वाले कार्यालय के परामर्श से मतदाता सूची की व्यवस्था करेगा। रिटर्निंग अधिकारी, परियोजना प्रमुख और धारणाधिकार धारक कार्यालयों के बीच गहन सहयोग अपेक्षित है।

ग) (-1S) वेतन बैंड के कर्मचारी जो कार्यकारी पद पर मौजूद हैं।

घ) प्रशिक्षण केंद्रों/स्कूलों और रेलवे स्कूलों/कालेजों के कर्मचारियों को जिन्हें यूनियनों का सदस्य बनने की अनुमति है, निकटवर्ती मतदान केन्द्रों में मतदान करना अनुमेय किया जाए। मतदान केन्द्र संस्थान के परिसार के अंदर नहीं लगाए जाएं।

ङ) रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. में कार्यरत लिपिकवर्गीय कर्मचारी लेकिन रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. से संबंधित नहीं हों और जो रे.सु.ब. अधिनियम द्वारा शासित नहीं हों।

च) केवल वे व्यक्ति जिनके नाम एक केन्द्र की मतदाता सूची पर मौजूद हैं, उस मतदान केन्द्र में मतदान करने के पात्र होंगे।

मतदाता का अभिज्ञान: मतदान करने के प्रयोजनार्थ, पहचान-पत्र को मतदाताओं की पहचान के लिए विधिमान्य दस्तावेज माना जाएगा। सभी इकाइयां यह अवश्य सुनिश्चित करेंगी कि चुनाव के लिए निर्धारित तारीख से भली-भांति पहले सभी कर्मचारियों को विधिमान्य पहचान-पत्र जारी किए जाएं। बहरहाल, दुर्लभ मामलों में विधिमान्य कारण से फोटो पहचान-पत्र उपलब्ध नहीं होने पर, पहचान का कोई अन्य विधिमान्य स्पष्ट फोटो धारक प्रमाण जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड और आधार कार्ड को पहचान का विधिमान्य प्रमाण माना जाए। अगर पहचान के इन प्रमाणों में से कोई उपलब्ध नहीं है तो नियंत्रक अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासी ग्रेड स्तर से कमतर से नहीं) द्वारा विधिवत अग्रेषित और सुस्पष्ट आधिकारिक मोहर के साथ संबंधित प्रभारी कार्मिक अधिकारी (वरिष्ठ डी.पी.ओ./डी.पी.ओ./उप सी.पी.ओ./एस.पी.ओ.) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित फोटोयुक्त एक प्राधिकार पत्र को अनुमति दी जाए।

3. **मतदान करने हेतु पात्र नहीं कर्मचारी:-**

निम्नलिखित कर्मचारी मतदान करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

क) अस्थायी रुतबे के बिना एवजी, नैमित्तिक/संविदात्मक मजदूर और दैनिक मजूरी आधार पर नियुक्त।

ग) प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों और रेलवे स्कूलों/कालेजों की उपस्थिति नामावली पर मौजूद शैक्षिक कर्मचारी (जिन्हें यूनियन का सदस्य होने की अनुमति नहीं है)। (बहरहाल, जिन कर्मचारियों को यूनियनों के सदस्य होने की अनुमति है, निकटवर्ती केन्द्रों पर मतदान करने के पात्र होंगे।)

घ) अगर कोई कर्मचारी 01.02.13 को या उसके पश्चात समूह 'ख' सेवा में पदोन्नत हो जाता है तो उसका नाम मतदाता सूची से हट जाएगा।

ङ) अगर कोई कर्मचारी 01.02.13 को या उसके पश्चात अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेता है, सेवानिवृत्त हो जाता है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेता है तो उसका नाम मतदाता सूची से हट जाएगा।

(व्याख्यात्मक टिप्पण: उपर्युक्त पैरा 3(घ) और 3(ङ) से अभिप्रेत है कि केवल वे कर्मचारी जो मतदान की तारीख को अराजपत्रित कर्मचारी के अपने रुतबे को बनाए रखना जारी रखते हैं जैसा कि उनका 01.02.13 को था, मतदान करने के पात्र होंगे।

मतदाता सूची का मुद्रण करते समय, फरवरी और मार्च, 2013 में सेवानिवृत्ति/निश्चित सेवानिवृत्ति की तारीख को, जैसा भी मामला हो, दिखाने वाला एक कॉलम बनाया जाए। या 01.12.13 के पश्चात अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर चुके, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके, दिवंगत, पदोन्नत व्यक्तियों की सूची मतदान अधिकारियों को दी जाए जो मतदाता की पहचान स्थापित करते समय इसकी आमने-सामने जांच करेंगे।

बहरहाल, रिटर्निंग अधिकारी कर्मचारियों के इस मसले को जो मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद मतदान करने के लिए अपात्र हो जाते हैं, हल करने हेतु स्वयं अपना तंत्र विकसित कर सकते हैं।)

च) रे.सु.ब. अधिनियम के अंतर्गत शासित रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. कार्मिक मतदान करने के पात्र नहीं हैं।

स्थानांतरित कर्मचारियों का मामला:

उन कर्मचारियों के नाम जिनका स्थानांतरण 01.02.13 के पश्चात होता है, मूल मतदाता सूची से हट जाएगा। ये नाम तैनाती के नए स्टेशन पर मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। यह आसन्न नियंत्रक अधिकारी/पर्यवेक्षक द्वारा जिनके अंतर्गत कर्मचारी ड्यूटी ग्रहण करता है, व्यक्तिगत तौर पर सुनिश्चित किया जाएगा।

बहरहाल, ऐसे परिवर्धन केवल मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने तक संभव होंगे जिसके लिए अंतिम तारीख 18.03.13 निर्धारित की गई है। कर्मचारियों और प्रशासन से किसी असुविधा से बचाने के उद्देश्य से, यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थानातंरण ऐसी विधि से नहीं किया जाए कि कर्मचारियों को इस अवधि के बाद जाना पड़े। दुर्लभ परिस्थितियों में जहां ऐसे स्थानांतरण अपरिहार्य हैं, कर्मचारी पुराने स्टेशन पर मतदान कर सकते हैं।

4. **मान्यता प्रदान करने हेतु मानदंड:-**

i) कुल निर्वाचक मंडल के एकल मतदान का 30% या उससे अधिक प्राप्त करने वाली सभी यूनियनों को मान्यता-प्राप्त माना जाएगा।

ii) अगर केवल एक यूनियन को कुल निर्वाचक मंडल के एकल मतदान का 30% या उससे अधिक प्राप्त होता है और मतों की अगली अधिकतम संख्या प्राप्त करने किसी दूसरी यूनियन को मतदान किए गए मान्य मतों का कम से कम 35% प्राप्त होता है तो उन दोनों यूनियनों को मान्यता प्रदान की जाएगी। (यह इस आधारिका पर है कि मतदान किए गए मतों का 35% कुल निर्वाचक मंडल के 30% से कम है।)

iii) अगर उपर्युक्त (i) और (ii) में यथाअनुबद्ध परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती है तो अधिकतम संख्या में मतदान प्राप्त करने वाली दो यूनियनों को मान्यता प्रदान की जाएगी बशर्ते कि हर एक अलग-अलग मतदान किए गए विधिमान्य मतों के 35% से अधिक प्राप्त करे।

iv) अगर कोई यूनियन उपर्युक्त (i), (ii) और (iii) में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करती है तो मतदान किए गए विधिमान्य मतों की अधिकतम संख्या प्राप्त करने वाली यूनियन को मान्यता प्रदान की जाएगी बशर्ते कि वह मतदान किए गए विधिमान्य मतों का न्यूनतम 20% प्राप्त करे। इस मामले में, केवल एक यूनियन को मान्यता मिलेगी।

v) अगर किसी यूनियन को मतदान किए गए विधिमान्य मतों का 20% तक नहीं मिलता है तो किसी यूनियन को मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी।

vi) एक बार जब किसी यूनियन को मान्यता प्रदान कर दी जाती है तो वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विशेष कारण से यथोचित प्रक्रिया का पालन के पश्चात उसकी मान्यता वापिस लिए/निलंबित किए जाने तक मान्यता-प्राप्त बनी रहेगी।

सामान्य क्रम में मान्यता-प्राप्त निकाय/निकायों हेतु छह वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करते हुए, चुनावों का आवधिक रूप से आयोजन किया जा सकता है।

vii) वर्तमान मान्यता-प्राप्त ट्रेड यूनियनें/फेडरेशनें चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक मान्यता-प्राप्त यूनियनें/फेडरेशनें (शर्तों के अध्यधीन) बनी रहेंगी और इसकी अविच्छिन्नता चुनावों के परिणाम पर निर्भर करेगी।

5. **अनुशासन संहिता:-**

चुनाव लड़ने वाली सभी मान्यता-प्राप्त ट्रेड यूनियनों को यह लिखित में देना होगा कि वे **अनुबंध-I** के अनुसार अनुशासन संहिता का पालन करेंगी।

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-II के अध्याय XXV और XXVI अराजपत्रित रेल सेवकों की यूनियन को मान्यता प्रदान करने के नियम, यूनियन को मान्यता प्रदान किए जाने की पूर्ववर्ती शर्तें और रेल श्रमिकों एवं रेल प्रशासन के बीच विवादों पर कार्रवाई करने के लिए वार्ता तंत्र आदि उल्लिखित हैं। चुनाव प्रकिया में भागीदारी इस आधारिका पर आधारित है कि

चुनाव लड़ने वाली सभी ट्रेड यूनियनें उनमें निर्धारित सभी नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करती हैं, सिवाय इन रीतियों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित को छोड़कर।

रेल प्रशासन प्रमुख सूचना पट्टों और वेबसाइट पर अनुबंध । के अनुसार संहिता को प्रदर्शित करेगा।

6. **चुनाव प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता**:-

उपर्युक्त अनुशासन संहिता और स्थापना नियमावली के उपबंधों का पालन करने के अलावा, चुनाव लड़ने वाली सभी यूनियनें चुनाव प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित आचार संहिता का पालन करेंगी जिसके उल्लंघन पर **अनुबंध III** में निर्धारित दंड की दायी होंगी।

क. चुनाव लड़ने वाली किसी भी ट्रेड यूनियन द्वारा धर्म, राजनीति, समुदाय, क्षेत्र या भाषा के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। ऐसी किसी भी अपील को भ्रष्ट चुनाव रीति माना जाएगा और अनुबंध III के अनुसार दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है।

ख. चुनाव लड़ने वाली ट्रेड यूनियन या उसके पदाधिकारी/प्रतिनिधि ऐसे किसी गतिविधि में लिप्त नहीं होंगे जिससे विभिन्न कोटियों, संवर्गों, धर्मों आदि के बीच तनाव उत्पन्न हो।

ग. प्रतिद्वंदी ट्रेड यूनियनों की आलोचना उनकी नीतियों एवं कार्यक्रमों, कार्य के पिछले अभिलेख तक सीमित रहनी चाहिए। व्यक्ति के निजी जीवन के बारे में चर्चा नहीं की जानी चाहिए। इसी प्रकार, रेल कार्यप्रणाली के साथ असम्बद्ध गतिविधियों का उल्लेख नहीं किया जाएगा।

घ. अप्रमाणित वक्तव्यों के आधार पर दूसरी ट्रेड यूनियनों या उसके पदाधिकारियों या उसके कामगारों की आलोचना नहीं की जाएगी।

ङ. प्रचार के प्रयोजनार्थ मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर और पूजा/धार्मिक सभा की दूसरी जगहों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

च. जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा जो चुनाव लड़ने वाली किसी भी यूनियन या नेशनल फेडरेशन या सेंट्रल ट्रेड यूनियन में पदधारक नहीं हैं जिनके साथ चुनाव लड़ने वाली यूनियन सम्बद्ध है और रेल कर्मचारी नहीं है, चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं है।

छ. मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर चुनाव प्रचार करने, चुनाव प्रक्रिया आरंभ होने से पहले के 48 घंटों के दौरान जनसभाएं करने की अनुमति नहीं है।

ज. किसी विशेष विधि में मतदान करने हेतु किसी रेल कर्मचारी को बाध्य करने के लिए किसी भी प्रकार से डराने, धमकाने या अवपीड़ित करने की अनुमति नहीं है।

झ. चुनाव लड़ने वाली यूनियनों के सभी अधिकृत मतदान अभिकर्ताओं के पास मतदान केन्द्र क्षेत्र में प्रवेश करते समय विधिमान्य पहचान-पत्र (पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किया गया) मौजूद होना चाहिए।

ञ. मतदान केन्द्रों में अग्यानेय शस्त्र की मौजूदगी, नारेबाजी, साम्प्रादायिक/राजनैतिक/धार्मिक झुकाव को भड़काने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।

ट. चुनाव प्रचार के लिए किसी भी रेल कर्मचारी या यूनियन के प्रतिनिधि को किसी विशेष छुट्टी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ठ. अगर चुनाव लड़ने वाली कोई यूनियन मध्याह्न-भोजन के समय प्रवेश सभा करनी चाहती है तो प्रशासन की पूर्वानुमति अपेक्षित होगी। बहरहाल, चुनाव की तारीख के 48 घंटे के अंदर किसी प्रवेश सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर एक से अधिक सूचना प्राप्त होती है तो प्रभारी प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

ड. उपहार, नकदी आदि देना कड़ाईपूर्वक वर्जित है और ऐसी कार्रवाई भ्रष्ट चुनाव रीति मानी जाएगी और अनुबंध III के अनुसार दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।

ढ. कार्यालय की दीवारों और कलोनियों में अन्य इमारतों पर लिखने सहित स्टेशनों, चल स्टॉक, इमारतों पर पोस्टर लगाने और विरूपित करने की अनुमति नहीं है। बहरहाल, इस प्रयोजनार्थ चुनाव की प्रक्रिया पूरी तक प्रशासन द्वारा चुनाव लड़ने वाली प्रत्येक यूनियन को उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

ण. चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टरों में वर्तमान और विगत राष्ट्रीय नेताओं के प्रति कोई अनादर नहीं दर्शाया जाएगा और चुनाव पूरा होने के बाद इनको सही प्रकार से हटा दिया जाएगा।

त. उपर्युक्त के अलावा, यूनियन की गतिविधियों की स्वीकार्य परिधि से बाह्येतर, असंगत और प्रतिकूल और कर्मचारी प्रशांति एवं जन शांति के विरुद्ध कोई अन्य चुनाव प्रचार गतिविधि व्यतिक्रमी को अनुबंध III के अनुसार दंडनीय कार्रवाई का दायी बनाएगी।

टिप्पण: आचार संहिता चुनाव की अधिसूचना की तारीख से लागू हो जाएगी।

7. **मतदाता सूची:-**

रेलों को अग्रिम तैयारी आरंभ करने में सहायता करने के लिए समिति के दिनांक 08.02.2013 एवं 22.02.13 के पत्र सं. एसबीसी/यूनियन इलेक्शन्स/2012/2 के अंतर्गत सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करते हुए मतदाता सूची बनाने के बारे में अनुदेश जारी किए गए थे। उपर्युक्त पैरा 3 एवं 4 में इनकी पुष्टि की गई है।

<u>प्राइज़ और अंतिम मतदाता सूची अपलोड करने की अनुसूची नीचे लिखे अनुसार संशोधित की जा रही है:</u>

12.03.2013: सरकारी वेबसाइट पर प्रारूप मतदाता सूची अपलोड करने की अंतिम तारीख।

14.03.2013: पीठासीन अधिकार द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख।

18.03.2013: पीठासीन अधिकारी द्वारा अभ्यावेदनों का निपटान करने की अंतिम तारीख।

18.03.2013: सरकारी वेबसाइट पर अंतिम मतदाता सूची अपलोड करना जिसके साथ इस चरण में सभी रजीस्टर्ड यूनियनों को एक सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी। (उन सभी यूनियनों को जिनका नामांकन विधिमान्य पाया जाता है, 02.04.13 के पश्चात मतदाता सूची की एक हॉर्ड कॉपी दी जाएगी।)

केंद्रीकृत मतदाता सूची तैयार करने और उसे विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पहले संबंधित रेलवे के रेलनेट पर अपलोड करने के अनुदेश जारी किए गए थे। यूनियनें/अलग-अलग कर्मचारी इस सूची में समावेशन/असमावेशन/गलतियों के विरुद्ध अपने अभ्यावेदन पीठासीन अधिकारी या इस कार्य के लिए अधिकृत स्थापना प्रभारियों (डीपीओ/वरिष्ठ डीपीओ/एसपीओ/उप सीपीओ/एईएन आदि) को प्रस्तुत कर सकते हैं।

मतदाता सूची का प्रपत्र

नाम (1)	पदनाम (2)	पहचान-पत्र सं./ कर्मचारी सं. / टोकन सं. (3)	भ.नि. सं. / एनपीएस सं. (4)	किसके अधीन कार्य कर रहा है (5)	किस स्टेशन पर तैनात है (6)

(रिटर्निंग अधिकारी मार्च 2013 में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को दर्शाने वाला कॉलम सम्मिलित करने पर विचार कर सकता है।)

8. **गुप्त मतदान चुनाव का आयोजन एवं पर्यवेक्षण करवाने हेतु प्राधिकारी:**

गुप्त मतदान चुनाव करवाने के लिए प्राधिकारी की संरचना एवं तंत्र नीचे लिखे अनुसार होगा:

i) गुप्त मतदान चुनाव समिति (एसबीईसी) गुप्त मतदान चुनाव के आयोजन एवं पर्यवेक्षण हेतु केंद्रक निकाय होगी।

ii) क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर समग्र पर्यवेक्षण क्षेत्रीय रेलों के मुख्य कार्मिक अधिकारियों (सीपीओ) के पास रहेगा जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाएगा और क्षेत्रीय रेल स्तर पर वरिष्ठ प्रशासी ग्रेड/एसजी का एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी उसकी सहायता करेगा। मंडल और कारखाना स्तर पर जहां चुनाव करवाए जाएंगे, पदनामित प्राधिकारी अपर मंडल रेल प्रबंधक/सीडब्ल्यूएम होगा जो पीठासीन अधिकारी होंगे और सहायक पीठासीन अधिकारी (वरिष्ठ डीपीओ/डीपीओ/उप सीपीओ/एसपीओ), नामित मतदान अधिकारी एवं मतदान सहायक उसकी सहायता करेंगे।

मुख्यालय मंडल और अन्य मंडल बाह्य इकाइयों में, रिटर्निंग अधिकारी चुनाव करवाने के लिए वरिष्ठ प्रशासी ग्रेड/एसजी/कनिष्ठ प्रशासी ग्रेड का एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर सकता है।

चुनाव की अवधि के दौरान मुख्य कार्मिक अधिकारी (सीपीओ) उपलब्ध नहीं होने की आकस्मिकता में, गुप्त मतदान चुनाव समिति संबंधित रेलवे के महाप्रबंधक के परामर्श से उसके स्थान पर प्रमुख विभागाध्यक्ष रैंक के किसी दूसरे अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नामित करेगी। संबंधित अपर मंडल रेल प्रबंधक/सीडब्ल्यूएम के उपलब्ध नहीं होने की आकस्मिकता में, रिटर्निंग अधिकारी एसबीईसी को सूचित करते हुए संबंधित मंडल रेल प्रबंधक/प्रमुख विभागाध्यक्ष के परामर्श से उसके स्थान पर किसी दूसरे उपयुक्त वरिष्ठ अधिकारी को नामित करेगा।

9. **चुनाव करवाने हेतु प्राधिकारियों की नियुक्ति:-**

एसबीईसी का अध्यक्ष रिटर्निंग अधिकारी को नियुक्त करेगा जो आगे इसी क्रम में एसबीईसी को सूचित करते हुए **अनुबंध IV** के अनुसार पीठासीन अधिकारियों को नियुक्त करेगा/करेगी। आगे वह पीठासीन अधिकारियों से प्राप्त नामांकनों के आधार पर **अनुबंध V** के अनुसार मतदान दलों की नियुक्ति को अनुमोदित करेगा/करेगी।

फिर नियुक्ति आदेशों को समाविष्ट करने वाला प्रपत्र सभी कर्मचारियों के हस्ताक्षर लेने के लिए वापिस पीठासीन अधिकारियों को भेजा जाएगा। मतदान दलों के सभी सदस्यों को नियुक्ति पत्रों की सुपुर्दगी सिद्ध करने के लिए हस्ताक्षरित प्रपत्र की एक प्रति रिटर्निंग अधिकारियों को भेजी जाएगी।

कोई अधिकारी जो पिछले छह वर्ष के दौरान किसी मान्यता-प्राप्त यूनियन का एक पदाधिकारी रहा है, उसे मतदान अधिकारी के रूप में तैनात नहीं किया जाएगा। मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने वाले प्रत्येक अधिकारी से इस आशय की एक घोषणा ली जाएगी। बहरहाल, मतदान ड्यूटी के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारी उपलब्ध नहीं होने के मामले में, रिटर्निंग अधिकारी इस शर्त में शिथिलता बरतते हुए पीठासीन अधिकारी के परामर्श से किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है।

10. **चुनाव चिह्नों का आवंटन:-**

चुनाव में भाग लेने वाले पात्र यूनियनों को एक विशिष्ट 'चिह्न' आवंटित किया जाएगा जिस पर वे चुनाव लड़ेंगी। 'चिह्न' में भारत के चुनाव आयोग/राज्य चुनाव आयोग द्वारा किसी राजनैतिक दल को आवंटित चिह्नों के साथ कोई समानता नहीं होनी चाहिए और इसमें किसी धार्मिक या सम्प्रदायवादी रूपांकन/विचारों के साथ समानता नहीं होनी चाहिए। यूनियन एक वचनबद्धता जमा करवाएगी कि उनकी क्षेत्रीय रेल में होने वाले चुनाव में उनके द्वारा चुना गया 'चिह्न' भारत के चुनाव आयोग/राज्य चुनाव आयोग द्वारा राजनैतिक दलों आवंटित चिह्नों के साथ कोई समानता नहीं रखता है।

उसके अतिरिक्त, चुनावों के लिए चिह्न का चयन निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुपालन करेगा:

(i) यूनियन अपने स्थापित लोगो को अपने चिह्न के रूप में प्रयोग कर सकती है, उसके बावजूद, रेल से संबंधित किसी वस्तु की तस्वीरों की छवि रखने वाला।

(ii) चिह्न में यूनियन/फेडरेशन का नाम हो सकता है।

(iii) यूनियन द्वारा पिछले चुनाव में प्रयोग किया गया चिह्न, प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि उसका रेलवे के साथ कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार, चिह्न के रूप में एक 'बोगी' प्रयोग किया जाना अनुमेय नहीं होगा भले यह उनके द्वारा पिछले चुनाव में प्रयोग किया गया था।

यूनियन स्वयं अपना चिह्न चुन सकती है या रिटर्निंग अधिकारी के पास उपलब्ध विकल्प को चुन सकती है। बहरहाल, यूनियन इंजन, रेलपथ, बोगी, सवारीडिब्बा, सिगनल आदि से चिह्नों को नहीं चुनेगी जिनका रेल के साथ गहरा संबंध है। अगर कोई यूनियन रिटर्निंग अधिकारी के पास उपलब्ध चिह्न का विकल्प चुनती है तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निम्नलिखित विधि से 'चिह्न' आवंटन किया जाएगा:

एसईबीसी ने धर्म-निरपेक्ष चिह्नों की एक सूची चिह्नित की है जो **अनुबंध VI** में उल्लिखित है। रिटर्निंग अधिकारी जांच करके उन चिह्नों को बाहर कर सकता है जो किसी क्षेत्रीय राजनैतिक दल द्वारा चुनाव चिह्नों के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं और शेष चिह्नों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ट्रेड यूनियनों को उपलब्ध करा सकता है। अगर पिछले चुनाव में भाग लेने वाले किसी यूनियन द्वारा कोई चिह्न प्रयोग किया जा चुका है तो उस यूनियन को वह चिह्न आवंटित करने में वरीयता दी जाए। दो या दो से अधिक यूनियनों की ओर से विरोधाभासी मांगों के मामले में, रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

11. **गुप्त मतदान चुनाव की अधिसूचना:-**

रिटर्निंग अधिकारी प्रमुख स्थानों पर नोटिस लगाकर और सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करके एसईबीसी द्वारा अंतिम रूप दी गई चुनाव आयोजन की अनुसूची के साथ चुनाव करवाने का निर्णय व्यापक रूप से अधिसूचित करेगा।

12. **नामांकन प्रस्तुत करना:-**

12.1. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित के अनुसार पात्रता के मानदंड को पूरा करने वाली यूनियन/यूनियनें एसबीईसी/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चुनाव अनुसूची में अधिसूचित अनुसूची के अनुसार नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले संबंधित क्षेत्रीय रेल के रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्य **अनुबंध VII** के अनुरूप नामांकन प्रपत्र में आवेदन कर सकती है/हैं।

12.2. यूनियन के महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन दस्तावेज में निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज समाविष्ट होंगे:-

i) क) यूनियन के टेलीफोन नंबरों सहित उसका पूरा नाम और पता;

ख) केंद्रीय कार्यालय पदाधिकारियों के नाम और पते, रेल में उनके पदनामों के साथ;

ii) संबंधित पंजीयक के पास जो संबंधित क्षेत्रीय रेल की अधिकारिता के अंदर भौगोलिक नियंत्रण रखता है, जमा करवाई गई पिछले वर्ष (2011) का लेखा विवरण और वार्षिक विवरणी की स्वप्रमाणित** फोटोकॉपी;

(**सभी स्वप्रमाणन यूनियन के महासचिव द्वारा किए जाएंगे)

iii) यूनियन के संविधान की एक स्वप्रमाणित प्रति;

iv) यूनियन के महासचिव द्वारा एक घोषणा कि रीतियों के पैरा 5 एवं 6 के अनुसार भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-II के अध्याय XXV एवं XXVI, और अनुशासन संहिता एवं आचार संहिता में अधिसूचित सभी नियम एवं शर्तें (अद्यतन) उन्हें स्वीकार्य हैं;

v) यूनियन के महासचिव द्वारा एक स्वप्रमाणित घोषणा कि उन्होंने गुप्त मदान करवाने के लिए अंतिम रीतियों और लागू अनुशासन संहिता/आचार संहिता को पढ़ एवं समझ लिया है और ये उन्हें पूर्णतया स्वीकार्य हैं;

vi) यूनियन के महासचिव द्वारा एक स्पष्ट और असंदिग्ध घोषणा कि गुप्त मतदान चुनाव के परिणाम यूनियन के लिए बाध्यकारी होंगे;

vii) यूनियन के महासचिव द्वारा स्वप्रमाणित घोषणा कि उल्लिखित यूनियन ने धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग या देश के कानून के अंतर्गत वर्जित किसी अन्य आधार पर कभी कोई भेदभाव नहीं किया है;

viii) यूनियन के महासचिव द्वारा एक घोषणा कि यूनियन द्वारा उपलब्ध कराई गई सारी सूचना सही है और इसके गलत पाए जाने की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी अनुबंध III के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है;

ix) यूनियन द्वारा नामांकन प्रस्तुत करने का समर्थन करने वाले सात रेल कर्मचारियों के हस्ताक्षर, उनके नाम, पदनाम एवं तैनाती स्टेशन के साथ (सत्यापन के अध्यधीन);

x) उनके कब्जे में कार्यालयों के लिए कार्यालय किराया, बिजली प्रभारों, टेलीफोन बिलों आदि के लेखे में सभी देय राशियों के संदाय के बारे में एक अनादेय प्रमाणपत्र। यह अनापत्ति प्रमाणपत्र में 31.12.12 को समाप्त होने वाली अवधि शामिल होनी चाहिए। जहां कहीं ये देय हैं, वहां रेल प्रशासन तुरंत बिलों को प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक मंडल के लिए उसकी अधिकारिता में सभी सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए एक अलग अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

अगर यूनियन द्वारा संदेय प्रभारों/बिलों के बारे में कोई विवाद है, या प्रशासन द्वारा समय पर बिल प्रस्तुत करने की असामर्थ्य के मामले में, यूनियन द्वारा रेलवे को एक स्पष्ट वचनबद्धता दी जाएगी कि विवाद के निपटान/बिल प्रस्तुत किए जाने के बाद बिलों का अधिकतम 31.12.13 तक संदाय कर दिया जाएगा। इस वचनबद्धता के आधार पर, महाप्रबंधक यूनियन को चुनाव लड़ने की अनुमति दे सकता है। ऐसे मामले में, महासचिव एक घोषणा

(अनुबंध II) जमा करवाएगा कि यूनियन ने ऐसे सभी बिलों का संदाय कर दिया है जहां कोई विवाद नहीं है और/या एक वचनबद्धता जैसा कि विनिर्दिष्ट है।

जो यूनियन रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी सुविधा पर काबिज नहीं है, वह इस आशय की एक घोषणा प्रस्तुत करेगी जिसे उस यूनियन के लिए अनादेय प्रमाणपत्र माना जाएगा।

13. **नामांकनों की संवीक्षा:-**

i) यूनियनों से प्राप्त होने वाले सभी नामांकनों की रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संवीक्षा की जाएगी और चुनाव लड़ने के लिए पात्र पाई जाने वाली यूनियन की एक सूची बनाई और अधिसूचित चुनाव अनुसूची के अनुसार प्रदर्शित की जाएगी।

ii) अपात्र यूनियनों को अपात्रता के बारे में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभिलिखित कारण सूचित किए जाएंगे ताकि वे अभ्यावेदन देने में समर्थ हो सकें। इस संबंध में रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

14. **नामांकन वापिस लेना:-**

चुनाव लड़ने के लिए पात्र घोषित की जाने वाली यूनियन उसके महासचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन करके नामांकन को वापिस ले सकती है। यह आवेदन चुनाव अनुसूची में अधिसूचित विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पहले रिटर्निंग अधिकारी के पास अवश्य पहुंच जाना चाहिए।

15. **मतदान की तारीखें और समय:-**

सभी क्षेत्रीय रेलों पर एक साथ लगातार तीन दिन (यथाविनिर्दिष्ट को छोड़कर) 8.00 बजे से 18 बजे तक चुनाव करवाएं जाएंगे। घोषित हो चुकी चुनाव अनुसूची का पालन किया जाएगा भले घोषित तारीखों पर कोई छुट्टी आ रही हो।

बहरहाल, मेट्रो कोलकाता, कारखानों और भंडार डिपुओं में, जहां केन्द्रित कर्मचारी होते हैं और रनिंग कर्मचारियों के मसले नहीं होते हैं, केवल **दो** दिन चुनाव करवाएं जाएंगे जो चुनाव के पहले वाले दो दिन होंगे।

16. **मतपत्रों का मुद्रण:-**

मतपत्र एक सारणीबद्ध प्रपत्र में होगा जिसमें नीचे दिखाए गए प्रपत्र के अनुसार पांच कॉलम होंगे।

क्रमांक	यूनियन का नाम	अंग्रेजी में संक्षिप्त नाम	हिंदी में संक्षिप्त नाम	चुनाव चिह्न
1				

(मोहर लगाने के लिए खाली स्थान को हटा दिया गया है क्योंकि अगर मतदाता आवंटित स्थान की बजाय यूनियन के चिह्न या नाम पर मोहर लगा देता था तो परिणामस्वरूप मत अविधिमान्य हो जाता था। मतदाता मतपत्र की वर्तमान रूपरेखा में किसी यूनियन पर किसी भी कॉलम में मोहर लगा सकता है।)

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 3(3) के अनुसार मतपत्रों का मुद्रण करवाया जाएगा जिसमें चुनाव में भाग लेने वाली सभी यूनियनों के नामों का वर्णानुक्रम उल्लेख किया जाएगा, प्रत्येक का एक विशिष्ट क्रमांक के साथ। क्रमांक सिर्फ लेखा-जोखा के प्रयोजनार्थ मतपत्र के अधपन्ने पर उपलब्ध होंगे। इस प्रकार मुद्रित करवाए गए मतपत्रों की कुल संख्या उनके क्रमांकों के साथ चुनाव लड़ने वाली यूनियनों को सूचित किए जाएंगे।

एकल निविदा आधार पर रेल भर्ती बोर्डों और रेल भर्ती प्रकोष्ठों के साथ संविदा रखने वाली सुविधाओं को प्रयोग करते हुए, अधिकतम सुरक्षा के साथ सर्वाधिक गोपनीय विधि से मतपत्रों का मुद्रण किया जाएगा। इस संबंध में रिटर्निंग अधिकारी को पूरा प्राधिकार होगा।

क्षेत्रीय रेल के कर्मचारियों की संख्या के अनुसार क्रमबद्ध कमांकों के साथ मतपत्रों का मुद्रण करवाया जाएगा और रेल प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार मतपत्र की एक प्रतिकृति प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी और वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

17. **मतदान केन्द्र:-**

प्रत्येक रेल में स्थापित किए जाने वाले मतदान केन्द्रों की वास्तविक संख्या के बारे में निर्णय संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। बहरहाल, जिन इकाइयों में केन्द्रित कर्मचारी हैं, उनके लिए 900-1200 कर्मचारियों के लिए एक मतदान केन्द्र के सिद्धांत और मार्गवर्ती स्टेशनों एवं गैंग हटों के लिए इस दृष्टिकोण के आधार पर कि व्यक्ति को 30-35 किलोमीटर से अधिक यात्रा नहीं करनी पड़े, का पालन करते हुए मतदान केन्द्र स्थापित किए जाएं। रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक बाध्यताओं और मतदाताओं की चिंताओं के बीच यथेष्ट संतुलन बनाने हुए मतदान केन्द्रों की अवस्थिति का निर्णय लेने में अपना विवेक प्रयोग कर सकते हैं।

राजपत्रित रैंक के एक मतदान अधिकारी के नियंत्रण के अधीन दो मतदान सहायकों के दल द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्र का पर्यवेक्षण किया जाएगा। मतदान केन्द्र उन परिसरों के समीप स्थापित किए जाएंगे जहां सामान्यत: कामगार कार्य करते हैं। चुनाव के दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर कोई चुनाव प्रचार/किसी मतदाता को प्रभावित नहीं किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर रे.सु.ब. कार्मिक तैनात किए गए हैं। अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में, सशस्त्र रे.सु.ब. कार्मिक तैनात किए जाएं और आवश्यकतानुसार राज्य पुलिस की सहायता भी ली जा सकती है।

महिला मतदाताओं के लिए और उनके लिए जो शारीरिक रूप से अशक्त हैं, मतदान केन्द्रों में उपयुक्त व्यवस्थाएं की जानी चाहिए।

मतदान केन्द्र इस प्रकार स्थापित किए जाएं कि मतदाता द्वारा मतदान करने की गुप्त भाग को छोड़कर समस्त प्रक्रिया मतदान अभिकर्ताओं को उनकी सीटों से पूर्णतया दिखाई दे।

मतदान केन्द्र के अंदर किसी मतदाता, मतदान अभिकर्ता, मतदान सहायक और मतदान हेल्पर को मोबाइल फोन/कैमरा प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल मतदान अधिकारी तात्कालिक अपेक्षाओं के लिए मोबाइल फोन रखने के लिए अधिकृत है।

सभी मतदाता सूचियों में एक निवेशन किया जाएगा कि मतदाता को मतदान केन्द्र में प्रवेश करने से पहले अपना मोबाइल फोन अनिवार्यत: बंद करना होगा और इस आशय के नोटिस मतदान केन्द्रों के बाहर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे।

18. **मतपेटियां:-**

रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी द्वारा अपेक्षित लेखनसामग्री, मोहर लगाने के मोम, **क्रमांकों वाली पेपर सील** आदि सहित पर्याप्त संख्या में मतपेटियां उपलब्ध कराई जाएंगी और इनको यूनियनों के मतदान अभिकर्ताओं और मतदान अधिकारी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में मतदान के प्रत्येक दिन मतदान आरंभ होने से पहले और मतदान समाप्त होने के बाद मोहरबंद किया जाएगा। राज्य या पड़ोसी राज्यों के मुख्य निर्वाचक अधिकारी से मतपेटियां उधार ली जा सकती हैं, और किसी कमी के मामले में, रेल भर्ती बोर्ड/रेल भर्ती प्रकोष्ठ परीक्षाओं में प्रयोग होने वाले धातु की पेटियां मुड़े हुए मतपत्र डालने के लिए उपयुक्त आशोधन करके प्रयोग की जा सकती हैं। अगर उसके बावजूद भी कमी रहती है तो नई पेटियां खरीदी जाएं।

मतदान के प्रत्येक दिन के लिए अलग मतपेटियां प्रयोग की जाएंगी। प्रत्येक दिन के मतदान के पश्चात, पेटियों को यथानिर्धारित के अनुसार मोहरबंद किया जाएगा और उपयुक्त ताले एवं पेपर सील के अंतर्गत जिस पर मतदान अधिकारी के प्रतिनिधि और रे.सु.ब. कर्मचारी के हस्ताक्षर होंगे, एक संरक्षित एवं सुरक्षित कमरे में रखा जाएगा। उस कमरे की मोहर संबंधित व्यक्तियों की उपस्थिति में केवल अगले दिन की मतपेटी रखने के लिए खोली जाएगी और उसकी नयाचार का पालन करते हुए दुबारा मोहरबंद कर दिया जाएगा। मतदान अधिकारी या इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से नामित अधिकारी पेटियों का अभिरक्षक होगा। मतपेटियों की सुरक्षा के लिए रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. के प्रहरी तैनात किए जाएंगे। तीन दिन की चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने पर, मतदान अधिकारी मतों की गिनती हेतु पीठासीन अधिकारी को मतपेटियों के सुरक्षित परिवहन की सुरक्षित व्यवस्था करेगा।

चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने पर मतदान अधिकारियों से मोहरबंद मतपेटियां प्राप्त होने पर पीठासीन अधिकारी (एडीआरएम/सीडब्ल्यूएम) द्वारा भी सादृश्य भंडारण और सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।

मतपेटियों के भंडारण हेतु चिह्नित स्थान, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारी द्वारा भली-भांति अधिसूचित किया जाएगा।

19. **मतदान अभिकर्ता:-**

चुनाव लड़ने वाली प्रत्येक यूनियन प्रत्येक मतदान केन्द्र हेतु दो मतदान अभिकर्ता (एक बार में केवल एक उपस्थित रहेगा) नामांकित करेगी। मतदान अभिकर्ता अनिवार्यत: संबंधित क्षेत्रीय रेल का नियमित कर्मचारी होने चाहिए। मतदान अभिकर्ता अपनी प्रमाणकिता को सिद्ध करने के लिए अपनी पहचान का प्रमाण अपने साथ रखेगा। अभिकर्ताओं को मतदान आरंभ होने से पहले खाली मतपेटियां दिखाई जाएंगी और उनकी उपस्थिति में इन्हें तालाबंद एवं मोहरबंद किया जाएगा। मतदान अधिकारी मतपेटियों को तालाबंद एवं मोहरबंद अभिकर्ताओं द्वारा देखे जाने के संकेत के रूप में मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेगा। मतदान अभिकर्ता पूरे मतदान के दौरान उपस्थित रह सकते हैं; बहरहाल, उनकी अनुपस्थिति से चुनाव प्रक्रिया नहीं रुकेगी।

मोहरबंद मतपेटी पर हस्ताक्षर को किसी यूनियन के गिनती अभिकर्ता द्वारा नहीं पहचाने जाने की परिस्थितियों को अलग करने के लिए, यह सुझाव दिया जाता है कि ट्रेड यूनियनें सभी मतदान केन्द्रों के लिए अपने मतदान अभिकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराएं।

प्रत्येक यूनियन की ओर से मतदान के प्रत्येक दिन पर प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए दो मतदान अभिकर्ता विशेष आकस्मिक छुट्टी के पात्र होंगे।

20. **मतदान दल और उनके उत्तरदायित्व:-**

मतदान करने की प्रक्रिया का मतदान सहायकों की सहायता के साथ मतदान अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा। कार्मिक निरीक्षक/कल्याण निरीक्षक और अन्य निरीक्षकीय/लिपिक-वर्गीय कर्मचारियों के रूप में कार्यरत रेल कर्मचारियों को मतदान सहायकों के रूप में तैनात किया जाएगा। सहायक/वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को मतदान अधिकारी के रूप में तैनात किया जाएगा।

प्रत्येक मतपत्र पर सबसे ऊपर मतदान केन्द्र के संबंधित मतदान अधिकारी द्वारा स्याही में हस्ताक्षर किए जाएंगे।

मतदान दल एक प्रकार मतदान केन्द्र स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होगा जिससे मतदाताओं को मतदान करने की अपनी बारी की प्रतीक्षा करते समय असुविधाजनक महसूस नहीं हो और मतदान करने की वास्तविक प्रक्रिया हेतु सही गोपनीयता संभव हो। मतदान अभिकर्ताओं के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।

21. **डाक मतपत्र प्रणाली:-**

डाक मतपत्र केवल उन कर्मचारियों के अनुमेय होंगे

(**क**) जो गुप्त मतदान चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात हैं;

(**ख**) जो विभिन्न मंडलीय/क्षेत्रीय और अन्य प्रशिक्षण केंद्रों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त हैं। (इस संबंध में सभी रेलों को यह सुनिश्चित करने के लिए पत्र पहले भी प्रेषित किया जा चुका है कि चुनाव के सप्ताह के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों को न्यूनतम रखा जाए ताकि कर्मचारियों की अधिकतम संख्या अपने कार्यकारी पदों पर उपलब्ध हैं और मतदान करने के लिए स्वतंत्र हैं); और

(**ग**) उनके लिए जो मतदान की तारीखों के दौरान रेलगाड़ी चालन/मार्गरक्षण की ड्यूटियों पर दूर होंगे।

I. **चुनाव ड्यूटी** पर मौजूद कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाएगा:

क. आरक्षी उम्मीदवारों की युक्तिसंगत संख्या के साथ चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात व्यकितयों की भली-भांति पहले पहचान की जाएगी।

ख. ऐसे सभी व्यक्तियों को डाक मतपत्र का अनुरोध करने के लिए **अनुबंध VIII** के अनुसार एक प्रपत्र उपलब्ध कराया जाए, और अगर वे डाक मतपत्र द्वारा मतदान करना चाहते हैं तो उनके अनुरोध अनिवार्यत: प्राप्त किए जाएं।

ग. ऐसे अनुरोध के आधार पर, कर्मचारी को स्वयं का पता - रिटर्निंग अधिकारी का पता लिखे लिफाफे के साथ डाक मतपत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

घ. कर्मचारी अपना मतदान एक गुप्त विधि से कर सकता है और मतपत्र को समाविष्ट करने वाला मोहरबंद लिफाफा रिटर्निंग अधिकारी को इस प्रकार भेज सकता है कि वह अधिकतम 27.04.13 (सांय 5.00 बजे) तक उसके पास पहुंच जाए।

ङ. रिटर्निंग अधिकारी ऐसे सभी डाक मतपत्रों का अलग से गणना करेगा और उन्हें मतदान केन्द्रों में हुए मतदान के साथ जोड़ेगा। दोनों विधियों द्वारा मतदान की एकसाथ गणना करने के बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी।

II. **प्रशिक्षण पर** तैनात कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाएगा:

क. रिटर्निंग अधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन सभी प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुबंध VIII के अनुसार पर्याप्त संख्या में प्रपत्रों को या तो सीधे या पीठासीन अधिकारी के माध्यम से सुपुर्द करवाने की व्यवस्था करेगा।

ख. भरे गए प्रपत्रों को पीठासीन अधिकारी को भेजा जाएगा जो डाक मतपत्र का अनुरोध करने वाले प्रशिक्षणार्थियों के प्रमाणकिता की पुष्टि करने के पश्चात इन्हें संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को भेजेगा।

ग. पुष्टि प्राप्त होने पर, रिटर्निंग अधिकारी या तो सीधे या पीठासीन अधिकारी के माध्यम से एक मोहरबंद लिफाफे में प्रत्येक पात्र उम्मीदवार के लिए डाक मतपत्र प्रशिक्षण केन्द्र के प्रमुख को भेजने की व्यवस्था करेगा जो इन्हें पावती के स्पष्ट हस्ताक्षर के अंतर्गत आगे प्रशिक्षणार्थियों के सुपुर्द करवाने की व्यवस्था करेगा।

घ. सभी प्रशिक्षणार्थी अपना मतदान पूर्णतया गुप्त विधि से करेंगे और डाक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को इस प्रकार भेजेंगे कि वह अंतिम तारीख से पहले उसके पास पहुंच जाए।

III. उन कर्मचारियों के लिए जिनके मतदान की तारीखों की समयावधि के दौरान **रेलगाड़ी चालन ड्यूटियों** के संबंध में दूर होने की संभावना है, डाक मतपत्रों की व्यवस्था करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाए:

क. पीठासीन अधिकारी मतदान की तारीखों पर रेलगाड़ी चालन ड्यूटियों के लिए तैनात किए जाने वाले व्यक्तियों के नामों (आरक्षियों की उपयुक्त संख्या के साथ) का भली-भांति पहले निर्णय लेने के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा, जिसके कारण उनके द्वारा उनका मतदान नहीं कर पाने की संभावना है।

ख. ऐसे व्यक्तियों को अनुबंध VIII के अनुसार डाक मतपत्र के लिए आवेदन करना अपेक्षित है।

ग. उनके अनुरोधों और पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रमाणिकता की पुष्टि के आधार पर, रिटर्निंग अधिकारी मोहरबंद लिफाफे में डाक मतपत्र जारी करेगा और इसे पीठासीन अधिकारी के माध्यम से सुपुर्द करवाएगा।

घ. कर्मचारी अपना मतदान पूर्णतया गुप्त विधि से करेंगे और डाक द्वारा पीठासीन अधिकारी को इस प्रकार भेजेंगे कि वह अंतिम तारीख से पहले उसके पास पहुंच जाए।

मतपत्र जारी करने एवं मतदान करने की रीति

i. संबंधित रिटर्निंग अधिकारी/पीठासीन अधिकारियों द्वारा अनिवार्यत: 16.04.2013 तक डाक मतपत्र सुपुर्द/प्रेषित कर दिए जाएं। ऐसे व्यक्तियों की सूची जिनके नाम से डाक मतपत्र जारी किए गए हैं, वेबसाइट पर लगाई जाएगी;

ii. सामान्य मतपत्र में दिखाई देने वाले “गुप्त मतपत्र-2013” शब्दों के नीचे “डाक मतपत्र” शब्दों की मोहर लगाई जाएगी;

iii. मतदाता का नाम जैसा कि निर्वाचक नामावली के चिह्नित प्रति में प्रविष्टि है, डाक मतपत्र के अधपन्ने पर लिखा जाना चाहिए और फिर डाक मतपत्र को अधपन्ने से अलग किया जाना चाहिए;

iv. जारी किए गए मतपत्र की क्रम संख्या को इंगित किए बिना निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि के सामने “PB” अक्षर लिखे जाने चाहिए;

v. जारी किए गए डाक मतपत्रों के अधपन्नों को एक अलग पैकेट में मोहरबंद किया जाना चाहिए और कर्मचारियों के प्रेषित किए गए मतपत्रों के क्रमांकों और तारीख जिस पर वह पैकेट मोहरबंद किया गया, के साथ विषयवस्तु का संक्षिप्त विवरण इंगित किया जाना चाहिए;

vi. कर्मचारी को डाक मतपत्र के साथ-साथ 'डाक मतपत्र' की वापिसी के लिए स्वयं का पता लिखा और स्वयं की मोहर लगा एक लिफाफा भी भेजा जाना चाहिए। इस लिफाफे को डाक

मतपत्र के साथ अपेक्षाकृत एक बड़े लिफाफे में रखा जाना चाहिए और बड़ा लिफाफा मतदाता को संबोधित होना चाहिए;

vii. 'डाक मतपत्र' और 'वापिसी लिफाफे' को समाविष्ट करने वाला लिफाफा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। मतदाता इसको संबंधित पीठासीन अधिकारी से व्यक्तिगत तौर पर भी ले सकता है;

viii. डाक मतपत्र इस प्रकार रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय को भेजे जाने चाहिए कि वह अधिक से अधिक 27.04.13 तक वहां पहुंच जाए। 27.04.13 के बाद प्राप्त होने वाले डाक मतपत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और 'अविधिमान्य मत' माना जाएगा;

ix. डाक में किसी विलंब या डाक में हानि के लिए रिटर्निंग अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा;

x. प्राप्त होने वाले डाक मतपत्रों की संख्या की इस प्रयोजनार्थ रखे गए रजीस्टर में विधिवत प्रविष्टि की जानी चाहिए;

xi. 02.05.13 को रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में यूनियन के 'गिनती अभिकर्ताओं' की उपस्थिति में डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी।

xii. ठोस एवं समय पर सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए डाक मतपत्रों का डाक द्वारा समस्त संचलन स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से किया जाएगा।

22. **मतदान करने के लिए संक्षिप्त छुट्टी/अनुमति:-**

अल्प छुट्टी की अनुमति देकर कर्मचारियों को निपरवाद से छोड़ा जाना चाहिए ताकि वे अपना मतदान करने में समर्थ हो सकें। नियंत्रक पर्यवेक्षक अल्प छुट्टी की सीमा निर्णय लेगा जो कर्मचारी के लिए उसका मतदान करने और ड्यूटी पर वापिस लौटने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। बहरहाल, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अत्यावश्यक और अतिसंवेदनशील रेलगाड़ी परिचालन प्रभावित नहीं हो, एक विवेकपूर्ण विधि अपेक्षित है। इसी कारणवश, यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेलगाड़ी चालन को प्रभावित किए बिना सभी मतदान कर सकें, ऐसे मामलों में 3-दिन के आधार पर मतदान की अनुमति दी गई है।

प्रभारी पर्यवेक्षक स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए गैंगमैन, निर्माण कर्मचारी और रेलपथ मशीन संगठन के कर्मचारियों को अल्प छुट्टी की अवधि का निर्णय लेगा। ऐसे मार्गवर्ती कर्मचारियों द्वारा सुगम मतदान सुनिश्चित करने के लिए, रिटर्निंग अधिकरी और पीठासीन अधिकारी इन संगठनों के प्रमुखों के साथ यथोचित परामर्श करेंगे और ऐसे मतदान केन्द्रों की पहचान करेंगे जो उनके कार्यस्थल के निकट सान्निध्य में हैं।

23. **मतदान करने की प्रक्रिया:-**

मतदान के समय, मतदान सहायक पहले मतदाता के फोटो पहचान-पत्र की मदद से उसकी पहचान स्थापित करेगा। फिर वह मतदाता सूची का मास्टर प्रति से मतदाता के नाम को काटेगा और मतदाता की बांयी तर्जनी अंगुली पर अमिट स्याही से एक निशान लगाएगा और

उसे मतदान अधिकारी से गुप्त मतपत्र लेने के लिए कहेगा। वह मतदाता को मोहर लगाने के बाद मतपत्र को मोड़ने की विधि भी दिखाएगा।

मतदान अधिकारी पुन: पहचान-पत्र की दुबारा जांच करके मतदाता की पहचान के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा और मतपत्र की पिछली तरफ अपने हस्ताक्षर करने के बाद संबंधित कर्मचारी को क्रम संख्या के अनुसार एक मतपत्र देगा। मतपत्र के अधपन्ने पर मतदान करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर भी करवाए जाएंगे। कर्मचारी मतदान केन्द्र में इस प्रयोजनार्थ रखे गए एक अलग आहाते में मतपत्र पर मोहर का निशान लगाकर अपना मतदान करेगा। मोहर उस यूनियन के चिह्न पर लगाई जानी है जिसके लिए मतदाता मतदान करना चाहता है। उसके पश्चात मतदाता मतपत्र को मोड़ेगा और उसको मतदान अधिकारी/मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में मतपेटी में डालेगा जो सुनिश्चित करेगा कि मतपत्र ठीक प्रकार से पेटी में चला गया है।

24. **चुनाव कार्यवाही का अभिलेख:-**

प्रत्येक मतदान केंद्र पर, एक रजीस्टर **(प्रपत्र अनुबंध IX पर)** रखा जाएगा जिसमें चुनाव के दौरान अपनाई गई समस्त कार्यवाही को अभिलिखित किया जाएगा। ऐसी प्रविष्टियों पर मतदान अधिकारी और संबंधित यूनियनों के मतदान अभिकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

25. **पुनर्मतदान:-**

अगर किसी यूनियन या किसी विश्वसनीय स्रोत से किसी केन्द्र पर बड़े पैमाने पर चुनाव अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तो पीठासीन अधिकारी तुरंत जांच करेगा। जांच की रिपोर्ट के आधार पर और रिटर्निंग अधिकारी के साथ परामर्श करने के बाद, पीठासीन अधिकारी कथित केन्द्र पर अगले दिन पुनर्मतदान करवाने का आदेश दे सकता है। इस निर्णय की सूचना उन सभी इकाइयों के नियंत्रक अधिकारियों को दी जाएगी जिनके लिए केन्द्र स्थापित किया जाएगा। आगे नियंत्रक अधिकारी तुरंत सूचना प्रदर्शित करने और मतदाताओं द्वारा उनका मतदान दुबारा किए जाने की व्यवस्था करेगा।

पुनर्मतदान के लिए, अप्रयुक्त मतपत्र यदि उपलब्ध हों, इस्तेमाल किए जाएं जिसमें विफल रहने पर रिटर्निंग अधिकारी से अतिरिक्त मतपत्र मंगाए जाएं।

26. **मतदान का समापन:-**

मतदान के समापन के पश्चात, मतदान अधिकारी पीठासीन अधिकारी निर्धारित प्रपत्र **(अनुबंध X)** में मतपत्रों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें प्राप्त हुए कुल मतमत्र, प्रयुक्त मतपत्र, उपलब्ध अप्रयुक्त मतपत्र आदि सूचित किए जाएंगे। फिर मोहरबंद पेटियों को एकत्रित किया जाएगा और पर्याप्त सुरक्षा में पीठासीन अधिकारी द्वारा चिह्नित स्थान पर पहुंचाया जाएगा जो इन मतपेटियों को अपनी अभिरक्षा में लेगा।

27. **मतों की गिनती:-**

मतपेटी को पीठासीन अधिकारी और यूनियनों के अधिकृत मतदान/गिनती अभिकर्ताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा। अगर किसी यूनियन का अधिकृत मतदान या गिनती अभिकर्ता मतदान के दौरान या मतों की गिनती के समय निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित नहीं होता है तो इससे चुनाव या गिनती की प्रक्रिया अविधिमान्य नहीं होगी और मतदान एवं गिनती अनुसूची के अनुसार के आगे बढ़ेगी।

पीठासीन/सहायक पीठासीन अधिकारी मतों की गिनती के लिए पर्याप्त संख्या में गिनती अभिकर्ताओं विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान करेगा।

28. **अविधिमान्य मत:-**

मतपत्र को अविधिमान्य माना जाएगा जब:-

i) एक यूनियन/चिह्न से अधिक पर निशान लगाया गया है;

ii) निशान विभाजक रेखा पर इस प्रकार लगाया गया है कि मोहर के निशान का दो-तिहाई से कम भाग किसी एक यूनियन/चिह्न पर बना है। इस प्रकार, अगर निशान इस प्रकार से लगाया जाता है तो दो-तिहाई से अधिक भाग किसी एक चिह्न/यूनियन के नाम पर है तो उसे विधिमान्य माना जाएगा।

iii) मतपत्र में कोई संदिग्ध सूचक मौजूद है जैसे मतदाता का नाम, उसके हस्ताक्षर, किसी प्रकार का लिखित संदेश आदि। किसी विवाद के मामले में, पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

29. **चुनाव रिपोर्ट:-**

पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित एक वक्तव्य, **अनुबंध XI** के अनुसार, स्वयं गिनती के दिन फैक्स/या एक मोहरबंद लिफाफे में विशेष संदेशवाहक के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा।

30. **अप्रयुक्त मतपत्र:-**

अप्रयुक्त मतपत्र भी अवधारण एवं अभिलेख हेतु मतदान के अंतिम दिन पीठासीन अधिकारी के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी को अग्रेषित किए जाएंगे।

31. **गिनती और अंतिम परिणाम की घोषणा:-**

चुनाव के अंतिम परिणाम **(प्रपत्र अनुबंध XII पर)** तैयार एवं संकलित करने हेतु, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारियों से प्राप्त होने वाले सभी मोहरबंद लिफाफे जिसमें चुनाव

रिपोर्ट होती है और प्राप्त हुए डाक मतपत्र, यूनियन के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोले जाएंगे। परिणाम की घोषणा क्षेत्रीय रेल की यूनियन के नाम/चिह्न के अनुसार की जाएगी।

चुनाव/मतों की गिनती के संबंध में कोई भी विवाद चुनाव के अंतिम दिन/परिणाम घोषित किए जाने से पहले रिटर्निंग आधिकारी के समक्ष उठाया जाएगा। यह अवधि समाप्त होने के बाद, क्षेत्रीय रेल के रिटर्निंग अधिकारी घोषित परिणाम अंतिम माना जाएगा।

32. **यूनियनों के लिए वर्तमान सुविधाएं:-**

मान्यता-प्राप्त यूनियनों को कतिपय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। चुनाव लड़ने वाली सभी प्रतियोगी यूनियनों को खेल का बराबरी का मैदान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, मान्यता-प्राप्त यूनियनों को जो किसी रेलवे सुविधा जैसे कि प्रेम (सीईजी) के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया किराया-मुक्त कार्यालय परिसर, टेलीफोन, कार्ड पास आदि, चुनाव प्रयोजन के लिए इन्हें इस्तेमाल करने से वर्जित कर दिया जाएगा। इन अनुदेशों के उल्लंघन को भ्रष्ट चुनाव रीति और आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। यह साबित करने का दायित्व यूनियनों पर होगा कि इन सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं किया गया है।

चुनाव की अधिसूचना के पश्चात रेल प्रशासन मान्यता-प्राप्त यूनियन के साथ किसी स्थायी वार्ता तंत्र या औपचारिक बैठक नहीं करेगा।

33. विनिश्चित/अधिसूचित रीतियों के समग्र ढांचे के अंदर, एसईबीसी/या रिटर्निंग अधिकारी को प्रशासनिक सुविधा के लिए इन रीतियों के भाव और सिद्धांत को बदले बिना, आवश्यक स्पष्टीकरण, प्रशासनिक अनुदेश जारी करने का प्राधिकार होगा।